सतर्क राजस्थान

COVID-19
MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांकः सामान्य/चिकित्सा/2020/30968 दिनांक 10 अप्रेल, 2020

:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में कोविड–19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिको के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत दिनांक 20/03/2020 से निषेधाज्ञा लागू की गयीं हैं एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन हैं।

नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के दृष्टिगत भीलवाड़ा शहर के विभिन्न होटल्स/रिसोर्टस्/भवनो में क्वारंटाईन सेन्टर स्थापित किए गये हैं। प्रत्येक क्वारंटाईन सेन्टर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग तथा प्रशासनिक अधिकारी/कर्मचारी को केयर टेकर एवं निगरानी हेतु नियुक्त किया गया हैं।

क्वारंटाईन सेन्टर में नोवल कोरोना वायरस प्रारम्भिक लक्षण वाले व्यक्तियो को रखा गया हैं, ऐसे में क्वारंटाईन केन्द्र में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी अत्यधिक हो जाती हैं।

अतः राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशो/दिशा–निर्देशो, मेडिकल प्रोटोकॉल के कम में क्वारंटाईन सेन्टर में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियो के स्वास्थ्य के दृष्टिगत क्वारंटाईन सेन्टर में निम्नानुसार व्यवस्थाएं एवं कार्यवाही सुनिश्चित की जावे –

1.	जब भी क्वारंटाईन सेन्टर में संदिग्ध व्यक्तियो का ठहराव होना हैं, तो उस अवधि में क्वारंटाईन सेन्टर में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियो को ठहराने, खान–पान की पूर्ण व्यवस्था की जावे।
2.	संदिग्ध व्यक्तियो के ठहराव अवधि समाप्ति उपरान्त भी क्वारंटाईन सेन्टर में नियुक्त किए गए समस्त अधिकारी/कर्मचारियो का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के दिशा–निर्देशो एवं मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुरूप सेनेटाईज किया जावे एवं उनके स्वास्थ्य की पूर्ण निगरानी रखी जावे।
3.	क्वारंटाईन सेन्टर में संदिग्ध व्यक्तियो का ठहराव नहीं होने की स्थिति में भी उस क्वारंटाईन सेन्टर में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियो के ठहराने एवं खान–पान की समुचित व्यवस्था की जावे, ताकि संक्रमण की संभावना एवं फैलाव को रोका जा सके।

क्वारंटाईन सेन्टर में नियुक्त समस्त अधिकारी/कर्मचारियो को सलाह दी जाती हैं कि वे अपने घर से खाने–पीने की सामग्री साथ नहीं लावे। जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायीं जा रही सामग्री को ही उपयोग में लिया जावे।

आदेश की पालना सभी संबंधित द्वारा सुनिश्चित की जावे।

(राजेन्द्र भट्ट)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं –

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संभागीय आयुक्त, अजमेर
5. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
6. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
7. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
8. अति0 जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
9. प्रभारी अधिकारी, न्याय/सहायता/निर्वाचन/लेखा अनुभाग
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा (**All Over Incharge** संगरोधक केन्द्र)
11. सचिव, नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा
12. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
13. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, वॉर रूम, भीलवाड़ा
14. प्रभारी अधिकारी एवं ऑल ओवर इंचार्ज, नियंत्रण कक्ष, भीलवाड़ा
15. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
16. श्री राजेश सुवालका, सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा
17. जिला रसद अधिकारी, भीलवाड़ा
18. कोषाधिकारी, भीलवाड़ा
19. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
20. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
21. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
22. महा–प्रबन्धक उपभोक्ता भण्ड़ार, भीलवाड़ा
23. सचिव कृषि उपज मण्ड़ी, भीलवाड़ा
24. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भीलवाड़ा
25. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
26. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
27. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
28. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
29. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
30. अति0 निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा